वर्ष 2 अंक 3 मार्च 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू की मांग

बोनस बिना सीमा के दो

नये श्रम मंत्री श्री जे. बी. पटनायक के साथ 7 फरवरी को हुए विचार विमर्श में सीटू महासचिव पी. राममूर्ति ने मांग की है कि ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर नया बोनस बिल लाया जाए.

राममूर्ति ने वर्तमान बोनस फार्मूले का विरोध किया जिसने मजदूरों के बोनस को कम करके न्यूनतम सीमा पर ला दिया है. उन्होंने 'पूर्ववर्ती खर्च' के सिद्धांत की आलोचना की जिससे केवल मालिकों को लाभ मिलता है. तथाकथित 'सेट आफ' व 'सेट आन' के सिद्धांत को बोनस की मात्रा को और भी कम करने में प्रयोग किया जाता है. राममूर्ति ने मांग की कि बोनस की मांग को आंकने के लिए एक सीधा फार्मूला प्रयोग में लाया जाए, जिसके अनुसार मूल्यह्रास व बयाज की रकम को घटाकर निकले हुए कुल लाभ के आधार पर बोनस निर्धारित हो.

सबके लिए बोनस : सीटू प्रतिनिधि ने रु० 160 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस न दिए जाने का विरोध किया और मांग की कि सभी कर्मचारियों को, चाहे उनका वेतन कितना हो हो, बोनस दिया जाए. उन्होंने वर्तमान कानून द्वारा बोनस पर लगी उच्चतम सीमा को समाप्त करने की मांग की. राममूर्ति ने दलील दी कि जब आप मुनाफे पर कोई सीमा नहीं लगाते तो आपको मजदूरों पर बोनस की उच्चतम सीमा थोपने का कोई अधिकार नहीं.

विलंबित वेतन : सीटू महासचिव ने बोनस को उत्पादकता से जोड़ने के सिद्धांत का विरोध किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बोनस को विलंबित वेतन माना जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है. इस सिद्धांत के आधार पर सभी

[शेष पृष्ठ चार पर]

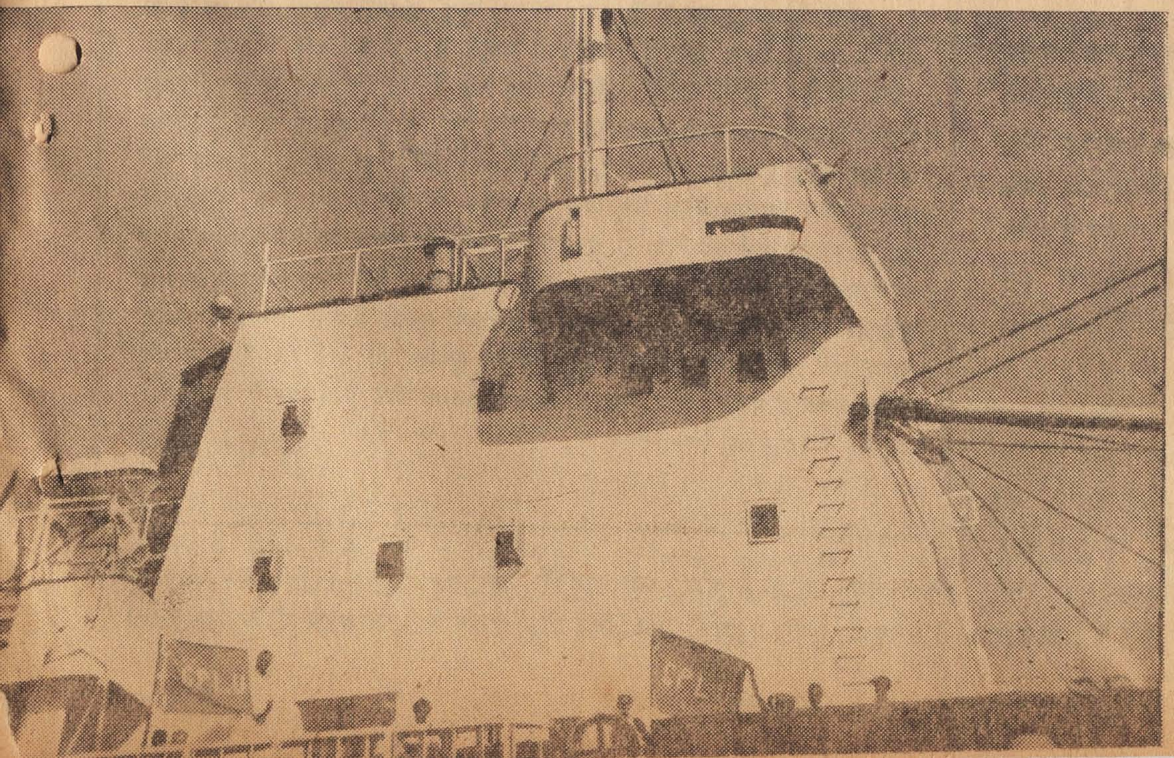

8 मार्च : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

कोचीन पोर्ट पर 19 दिसंबर 1979 को सीमेन यूनियन द्वारा रोका गया जलयान 'एम. वी. स्टेट आफ आसाम'. कोचीन पोर्ट लेबर यूनियन (सीटू) के झंडे जलयान पर लहरा रहे हैं. (रिपोर्ट पृष्ठ 7 पर)

सरकार व बी.पी.ई. की दखलंदाजी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पेटिशन दायर की गई है जिसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय और ब्यूरो आफ पब्लिक एंटर-प्राइजेज (बी. पी. ई.) के सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में दखल देने और इस तरह राष्ट्रीयकृत उद्योगों में औद्योगिक विवादों पर समझौतों को रोकने के अधिकार को चुनौती दी गई है.

यह पेटिशन बामेर-लारी एंप्लाईज यूनियन (सीटू) द्वारा दायर की गई है. कंपनी के राष्ट्रीयकरण के बाद यूनियन, जो महाराष्ट्र रिकग्निशन आफ ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत सौदेबाजी की एकमात्र एजेंट है, और प्रबंधकों के बीच मांगपत्र पर समझौते का मसविदा तैयार हुआ. लेकिन प्रबंधकों ने समझौते को अंतिम रूप देने से इंकार कर दिया क्योंकि बी. पी. ई. ने इसे मंजूर नहीं किया.

प्रबंधकों ने वित्त मंत्रालय के डी.ओ. पत्र पर अमल किया जिसमें कहा गया था कि बी. पी. ई. से बातचीत किए बिना कोई समझौता न किया जाए ताकि सार्वजनिक उद्योगों को मजदूरों के साथ ऐसे समझौते करने से बचाया जा सके जिनसे बाद में सरकार को कठिनाई न हो.

पेटिशन में यह कहा गया है कि वित्त मंत्रालय और बी. पी. ई. की दखलंदाजी एसोसिएशन और यूनियन बनाने के बुनियादी अधिकार व मांगों को मनवाने के लिए बोलने के अधिकार का उल्लंघन करता है और श्रम कानूनों के मजदूरों तथा प्रबंधकों को विवादों पर समझौता वार्ताओं के लिए तैयार करने के सिद्धांत को भी विफल करता है.

पाठकों क नाम

सीटू मजदूर के प्रकाशन को अब सवा साल हो गया है. इसमें कोई शक नहीं कि इस पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी भाषी मजदूरों की एक लंबे अर्से से चली आ रही मांग पूरी हुई और इसने मजदूरों को देश के विभिन्न भागों में चल रहे मजदूर संघर्षों की जानकारी दी.

सीटू मजदूर के संपादक-मंडल ने मजदूरों के लिए विभिन्न मुद्दों पर पढ़ने लायक सामग्री पत्रिका में प्रकाशित करने की पूरी कोशिश की. कुछ उद्योगों पर विशेष लेख लिखे गए. श्रम-कानूनों के बारे में जानकारी दी गई. इसमें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के संघर्षों के विषय में भी लेख प्रकाशित किए गए. इसके माध्यम से सरकार व मालिकान की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों को लामबंद करने का काम किया गया. इसके लिए जरूरी वामपंथी व जनवादी मोर्चे में मजदूर वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डाला गया. और साथ ही जनवरी 1980 में हुए आम चुनाव की भूमिका में मजदूरों को आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक हालात के बारे में जानकारी दी गई तथा उनको उनकी शक्ति का इजहार कराया गया.

संपादक-मंडल यह महसूस करता है कि सीटू मजदूर उन सभी मुद्दों पर लेख प्रकाशित नहीं कर पाया है जिनके बारे में मजदूरों को जानकारी होना जरूरी है. इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में उपयुक्त सामग्री प्रकाशित नहीं कर पाया है, और शैक्षिक लेखों की भी कमी महसूस होती है.

सीटू की हाल ही में होने वाली जनरल काउंसिल की बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि सीटू मजदूर को किस प्रकार से और अधिक मजदूर प्रिय बनाया जाए, किस प्रकार के लेख इसमें शामिल किए जाएं और पत्रिका में किस तरह के स्थायी स्तंभ बनाए जाएं.

इसके लिए यह जरूरी है कि पाठक हमें अपनी पसंद और रूचि के बारे में बताएं. किस तरह के लेख आप चाहते हैं, इसके बारे में आप हमें अपने सुझाव भेजें. इसके अलावा यह भी बताएं कि सीटू मजदूर के अब तक के प्रकाशन के बारे में आपकी क्या राय है. आपके सुझाव बहुत उपयोगी साबित होंगे. मौजूदा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात की पृष्ठ भूमि में, भारत में समाजवादी परिवर्तन के लिए आंदोलन का नेतृत्व देश के मजदूर वर्ग को लेना है. इसको मध्येनजर रखते आपके सुझाव आने और भी जरूरी हैं कि इस कार्य के लिए सीटू मजदूर को किस तरह से अपनी भूमिका अदा करनी है. वास्तव में आपके सुझाव इस आंदोलन को और ताकतवर बनाने में सहायक होंगे. अपने सुझाव 31 मार्च तक इस पते पर भेजें : संपादक-मंडल, सीटू मजदूर, 6, तालकटोरा रोड, नई-दिल्ली 110001.

—संपादक मंडल

हांसी स्पिनिंग मिल्स, हांसी (हरियाणा)

मजदूरों पर पुलिस, गुण्डों द्वारा हमला, महिलाओं के साथ बलात्कार

हांसी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, हांसी, के मजदूरों को प्रबंधकों व पुलिस के गुंडों द्वारा बेरहमी के साथ बुरी तरह पीटा गया. प्रबंधकों की शह पर ये गुंडे मजदूरों के घरों में घुस गए, लूटमार की और आतंक फैला दिया.

21 फरवरी को 10 से भी अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया. गुंडों को पुलिस ने मदद दी और पुलिस ने उन नेताओं की एक न सुनी जो मजदूरों की रक्षा के लिए उनके पास गए थे. बल्कि उनको भी बुरी तरह से पीटा गया और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए.

हांसी स्पिनिंग मिल में 1100 मजदूर काम करते हैं. ये मजदूर सीटू के झंडे के नीचे संगठित हैं. प्रबंधकों ने सीटू यूनियन को कुचलने के लिए लगभग 20 गुंडों को मिल में पाल रखा है. ये गुंडे दूसरे मजदूरों द्वारा काता गया धागा छीन लेते हैं और मालिकान से इसके लिए वेतन प्राप्त करते हैं.

कुछ मजदूरों ने 20 फरवरी को इसके खिलाफ शिकायत की. जब ये मजदूर काम के बाद रात को घर जा रहे थे, गुंडों ने मिल के गेट के पास उनके साथ मार पीट की. मजदूर अपनी कालोनी में गए और अपने अन्य साथी मजदूरों के साथ लौटे तथा गुंडों को मार भगाया.

इस मिल में काफी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के भी हैं. वे मिल के पास किराए के कमरों में रहते हैं. गुंडों और मजदूरों के इस झगड़े को स्थानीय व 'पूर्बियों' के बीच झगड़े में बदलने की कोशिश की गई. 21 फरवरी की सुबह को इन गुंडों ने कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर मजदूरों पर हमला बोला. यूनियन के नेताओं ने हस्तक्षेप करके झगड़े को खत्म करा दिया.

लगभग 11 बजे, घातक हथियारों से लैस होकर ये गुंडे मजदूरों के घरों पर पहुंचे. उनके पीछे पुलिसकर्मी थे. वे घरों में घुस गए और मजदूरों की जबरदस्त पिटाई की. क्योंकि पुलिस गुंडों की मदद कर रही थी, मजदूर ज्यादा सामना न कर सके. जो भी सामने आया बुरी तरह से पीटा गया और घसीटकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. यह गुंडा-पुलिस अत्याचार करीब सभी कालोनियों—गांधी कालोनी, वकील कालोनी, मालिया मंडी, रूप नगर कालोनी—में ढाया गया.

सवेरे के इस पहले दौर में 80 से भी ज्यादा मजदूरों को गिरफ्तार किया गया. बाकी जान बचाने के लिए भागे. कुछ भिवानी में सुरक्षा पाने के लिए लगभग 40 किलोमीटर तक पैदल चले. इस तरह आदमी घरों से दूर थे. अब गुंडों और पुलिस ने मजदूरों के घरों को शिकार का निशाना बनाया. उनका यह आक्रमण अगले दिन सवेरे तक चला. इस दौरान कितनी संपत्ति लूटी गयी ? कितनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार व बलात्कार किया गया ? कोई ठीक तरह नहीं बता सकता. हमारे संवाददाता ने इस आतंकग्रस्त हांसी का दौरा किया. पता चला कि कई महिलाओं के साथ, जवान व मंझली उम्र की और यहां तक कि जो गर्भवती थी उनके साथ भी, बलात्कार किया गया. और उनके आभूषण छीन लिए गए. गुंडों की शिकार एक महिला ने सिर्फ इतना ही बताया कि "सभी आठ लोग कमरे के अंदर एक घंटे तक रहे." वकील कालोनी में वकीलों के कुछ परिवारों ने कई महिलाओं की रक्षा की. यहां गुंडों को भागना पड़ा क्योंकि यहां उन्हें जबरदस्त प्रतिरोध मिला.

दो-चार दिनों तक गिरफ्तार मजदूरों को अदालत में पेश नहीं किया गया. पुलिस थानों में जेल के भीतर उन्हें भूखा रखा गया और बुरी तरह से सताया गया. चार मजदूर तो आज भी अस्पताल में हैं. उनकी चिंताजनक हालत है. एक भी गुंडा गिरफ्तार नहीं किया गया है. 12 से भी ज्यादा मजदूर गायब हैं. उनका कोई पता ठिकाना नहीं है. और 140 से भी ज्यादा मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया.

एक भी पुलिस या सरकार के उच्चाधिकारी ने हांसी का दौरा करने की जरूरत नहीं समझी. याद रहे कि इस मिल के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने इमरजेंसी के दौरान जबरन नसबंदी के खिलाफ लड़ रहे लोगों पर पिपली में पुलिस द्वारा गोलियां चलाए जाने में प्रमुख भूमिका अदा की थी.

[शेष पृष्ठ ग्यारह पर]

हांसी के मजदूरों को प्रतिरोध के लिए बधाई

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 27 फरवरी को सीटू की हिसार जिला कमेटी के सचिव टेक चंद गुप्ता को यह पत्र लिखा है :

हांसी स्पिनिंग मिल्स, हांसी, के मजदूरों का प्रबंधकों द्वारा भाड़े के गुंडों की, जिन्होंने यूनियन व प्रबंधकों के हमलों के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष को तोड़ने के लिए मजदूरों को बेरहमी से पीटा, उनकी संपत्ति लूटी और यहां तक कि उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मदद से किए गए नृशंस हमले का बहादुरी से प्रतिरोध करने के लिए कृपया मुबारकवाद दीजिए.

सीटू ने हरियाणा सरकार व पुलिस की प्रबंधकों के साथ सांठ गांठ करने और जब मजदूरों ने अचानक हमले का प्रतिरोध किया तो उन्हें गिरफ्तार करने की पहले ही भर्त्सना की है और सार्वजनिक जांच की मांग की है.

कृपया यह भी मजदूरों को बता दीजिए कि हरियाणा में सीटू यूनियनों के खिलाफ और उनके प्रतिरोध को शिकस्त देने के लिए प्रबंधकों और सरकार की साजिश के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष को सीटू पूरा समर्थन देगी.

मुख पृष्ठ से आगे

मजदूरों को बोनस दिया जाए. उन्होंने सभी राज्य व केंद्रीय सरकार को बोनस दिए जाने की वकालत की.

नये बोनस बिल की मांग : राममूर्ति ने सरकार की इस नीति का विरोध किया जिसके अनुसार बोनस एक्ट को अस्थाई आधार पर एक साल आगे बढ़ाया जाता है. उन्होंने इस संबंध में एक नया बिल लाए जाने की मांग की जिससे मजदूरों को अधिक बोनस मिल सके. उन्होंने यह भी मांग की कि बोनस एक्ट की परिधि के बाहर मजदूरों को सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर अधिक बोनस मिलने के अधिकार को बहाल किया जाए.

औद्योगिक संबंध बिल : औद्योगिक संबंध बिल के बारे में राममूर्ति ने ध्यान दिलाया कि इस बिल की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एकमत से भर्त्सना की है, उन्होंने सुझाव दिया कि नया बिल बनाने से पहले ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई आलोचना व सुझावों को ध्यान में रखा जाए. उन्होंने पुराने बिल को नई शक्ल में लाए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों ने साफ तौर से मांग की है कि पुराने बिल को समाप्त किया जाए व एक बिल्कुल नया बिल लाया जाए.

गुप्त मतदान : राममूर्ति ने जोर दिया कि हर औद्योगिक संबंध नीति में यूनियन को मान्यता देने का सवाल अहम होता है. सीटू तथा अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि यूनियनों को मान्यता गुप्त मतदान के आधार पर हो. उन्होंने वर्तमान शिनाख्त तरीके का विरोध किया जिससे मालिकों से सांठगांठ करने वाली यूनियनों को लाभ होता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हड़ताल पर जाना मजदूरों का हक है, और ट्रेड यूनियन आंदोलन इस मूलभूत अधिकार पर रोक लगाने के किसी प्रयत्न को स्वीकार नहीं करेगा.

धारा का दुरुपयोग : राममूर्ति ने कुछ उद्योगों में इस बिना पर कि वे आवश्यक उद्योगों में आते हैं, हड़ताल पर पाबंदी लगाने का विरोध किया. उन्होंने ध्यान दिलाया कि औद्योगिक संबंध बिल में आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत मजदूरों के बहुत बड़े हिस्से को डाला गया है जिससे कि इन मजदूरों का अदालत में जाने का बुनियादी अधिकार छीन लिया गया है. पिछले वर्षों में विभिन्न सरकारों ने इसका दुरुपयोग किया है. राममूर्ति ने फिर कहा कि पुराने बिल में कोई संशोधन करने के बजाय केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सलाह पर बुनियादी रूप से नया बिल तैयार किया जाए.

आचार संहिता : सीटू प्रतिनिधि ने तथाकथित 'आचार संहिता' को दुबारा लागू किए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह आचार संहिता एक तरफा थी. इसके अनुसार अनुशासन के नाम पर जहां एक ओर मजदूरों को दबाना था वहां दूसरे मालिकों को पूरी छूट थी कि वे मजदूरों के खिलाफ जो जी में आए करें. उन्होंने कहा कि जरूरत इस तरह की किसी एकतरफा आचार संहिता की नहीं बल्कि सही औद्योगिक नीति की है.

असुरक्षा की भावना : राममूर्ति ने मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों की रक्षा की जरूरत की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने बताया कि किस प्रकार कई सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में मजदूरों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने व अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के मामलों की ओर ध्यान दिलाने के लिए दंडित किया जाता है. इस प्रकार के विक्टिमाइजेशन के होते हुए मजदूर अपने को असुरक्षित पाते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में देशभक्ति पूर्ण भावनाएं व ईमानदारी दर्शाने का यह नतीजा होता है.

बी.पी.ई. की आलोचना : सीटू सचिव ने ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजिज के काम करने के तरीकों की आलोचना की और बताया कि यह ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में प्रबंधकों व मजदूरों के बीच वेतन-समझौतों में दखलंदाजी करता है. उन्होंने जोर देकर बताया कि उपभोक्ता सूचकांक के अंश पर रु. 1·30 महंगाई भत्ता देना पूरे सिद्धांत का मखौल उड़ाता है. उन्होंने मंत्री महोदय का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में व्याप्त भारी असंतोष की ओर दिलाया और मांग की कि द्विपक्षीय वार्ताओं में बी.पी.ई. की दखलंदाजी बंद हो.

वेतन नीति : अंत में राममूर्ति ने एक ऐसी सही वेतन-नीति बनाये जाने की जरूरत पर जोर दिया जिससे कि राष्ट्रीय-आय का बंटवारा मजदूर वर्ग व देहात के गरीबों के हक में जाए.

पुस्तिका समीक्षा

बजाज आटो फाइरिंग जांच कमेटी की रिपोर्ट

मराठी में

पुने में कुछ ट्रेड यूनियन और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा बनाई गई छानबीन कमेटी ने उस विवाद का गहराई से अध्ययन किया जिसके कारण 17 जून 1978 को बजाज आटो के मजदूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी. जिससे वह इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रबंधकों द्वारा दी गई दलीलें बिलकुल बेबुनियाद हैं. यह भी बतलाया गया कि किस प्रकार प्रबंधकों ने कर्मचारियों की शिकायतों का सामना करने के लिए टालमटोल करने वाले तरीकों को अपनाया और आखिरकार कर्मचारियों के संघर्ष को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया, कमेटी ने पाया कि पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने का कोई जायज कारण नहीं था.

हालांकि सरकार की ओर से पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की छानबीन कराने के लिए एक न्यायिक जांच कमेटी बनाई गई थी, लेकिन यह मजदूरों की जांच कमेटी झगड़े की जड़ तक पहुंची है.

पुस्तिका की सहायता कीमत रु० 1·30 पै० है. अकेदमी आफ पोलिटिकल एण्ड सोशल स्टडीज, पुने के प्रिंसिपल बी० के० कोल्हातकर ने रिपोर्ट की भूमिका लिखी है.

हथियारों के व्यापार के आर्थिक व सामाजिक पहलू

हाल के अध्ययन से पता चलता है कि मानवजाति ने 1978 में हथियारों व शस्त्रागारों पर 400 अरब डालर खर्च किए हैं. इस रकम का कम से कम २० प्रतिशत विकासशील देशों ने खर्च किया है जिनका 1965 से 1975 तक हथियारों का खर्च तीन गुना बढ़ गया है. संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में हथियारों पर किया गया खर्च सभी विकासशील देशों की कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम दो तिहाई है.

विश्व में सबसे बड़ा शस्त्रों का व्यापार करने वाला देश अमरीका है. 1977 में अमरीका में शस्त्र बनाने वाले इजारेदार घरानों ने 11.2 बिलियन डालर की कीमत के हथियार बेचे. इनमें 90% हथियार विकासशील देशों को बेचे गए. इस वर्ष यह रकम 13.7 बिलियन डालर हो जाने की संभावना है. इसी प्रकार के हालात हथियारों का व्यापार करनेवाले अन्य देशों में हैं जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस व पश्चिमी जर्मनी प्रमुख हैं. उदाहरण के तौर पर, 1975 मे फ्रांस द्वारा 13 बिलियन डालर के हथियारों का निर्यात हुआ जबकि इंग्लैंड ने 1.5 बिलियन डालर के मूल्य के हथियारों का निर्यात किया.

पश्चिमी जर्मनी विश्व के 54 देशों को निर्यात करता है. 19 जून 1971 में पास किए गए एक जर्मन कानून के मुताबिक विकासशील देशों व विवादास्पद क्षेत्रों जहां युद्ध भड़कने की संभावनाएं हैं को हथियार तथा युद्ध सामग्री का निर्यात करना मना है. किंतु इस वैधानिक रोक के बावजूद पश्चिमी जर्मनी के परराष्ट्रीय निगमों ने टैंक, सबमैराइन, कौरबेट जैसे शस्त्र इन देशों को बेचे.

आंकड़े बताते हैं कि विकासशील देशों को भेजे गए भारी हथियारों की मात्रा 1975 में 3.3 बिलियन डालर से बढ़कर 1977 में 7.6 बिलियन डालर हो गई है.

ये आंकड़ें हमें कुछ विशेष क्षेत्रों में हथियारों तथा युद्ध सामग्री के जमाव के बारे में नहीं बताते. यह जानने के लिए हमें नीचे दी जा रही तालिका का अध्ययन करना होगा.

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, सुदूर पूर्व व दक्षिणी अफ्रीका को छोड़ बाकी सारे क्षेत्रों में निर्यातित हथियारों का जमाव 1973 से 1977 तक 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है. जहां तक दक्षिणी अफ्रीका का सवाल है, यह वृद्धि 683 प्रतिशत हुई है. यह संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निर्देश का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है कि दक्षिणी अफ्रीका के नस्लबादी शासन को हथियारों की बिक्री बिल्कुल बंद कर दी जाए. हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक मध्यपूर्व है. यहां हथियारों में 1973 से 1977 तक 111 प्रतिशत वृद्धि हुई है. यदि इस वृद्धि को मूल्य से नापा जाए तो इस क्षेत्र के देशों ने 4.66 बिलियन डालर भारी हथियारों की खरीद पर व्यय किए हैं.

मध्य पूर्व क्षेत्र में हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक देश इस्राइल है. हथियारों की इस भारी खरीद के कारण ही इस्राइल अपने पड़ोसी अरब देशों–विशेषकर फिलीस्तीन के अवाम—के खिलाफ आक्रामक कारंवाइयां करता रहता है तथा इस्राइली फौजों द्वारा गैरकानूनी रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों की जनता पर अत्याचार करता है. मध्यपूर्व क्षेत्र द्वारा 1970 से 1976 के बीच हथियारों पर किए गए 16,484 बिलियन डालरों में इस्राइल का भाग 17 प्रतिशत यानी 2,864 मिलियन डालर है. आपसी विवादों में उलझे हुए देशों को हथियार बेचने से इन क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर पर अस्थिरता आ जाती है तथा असुरक्षा व युद्ध के हालात भड़क उठते हैं.

परराष्ट्रीय इजारेदार कुछ चुने हुए देशों में भारी हथियारों तथा शस्त्र भंडार बनाने की तकनीकों का विकास और संचय करने में लगे हैं. पश्चिम जर्मन 'मैसरशिम्त-बोलको-ब्लोम' नामक कंपनी ब्राजील, ईरान, पाकिस्तान व तुर्की में प्रक्षेपास्त्र बनाती है. 'फ्रिट्ज वर्नर एजी राकटनफाबरिक नामक कंपनी इस्राइल, इंदोनेशिया तथा ईरान को युद्ध सामग्री का निर्यात करती हैं. इसी प्रकार 'ओत्राग और बिटालन ट्रांसपोर्ट अंड राकेटन एर्जी' ने जेरे में 2 लाख वर्ग किलोमीटर खरीदे हैं, जहां कि नए अस्त्रों को टैस्ट किया जाएगा.

परराष्ट्रीय निगम हथियारों के निर्यात के द्वारा अन्य नागरिक उत्पादन की वस्तुओं के लिए भी मंडियां प्राप्त करने के लिए घुसपैठ करते हैं. जैसा कि फ्रांसीसी पत्रकार ने लिखा है—एक फ्रैंक कीमत की युद्ध सामग्री के निर्यात के द्वारा कम से कम 4 फ्रैंक कीमत की अन्य वस्तुओं के निर्यात की भूमिका बन जाती है.

किसी देश में विदेशी पूंजी विनियोग इतना नहीं होता जितना की उस देश

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

क्षेत्र	डालर (दस लाख में) 1973	1974	1975	1976	1675 स्थिर मूल्य 1977	विकास (1970-1977)
मध्यपूर्व	2,211	2,836	3,527	3,164	4,667	111
सुदूर पूर्व	302	249	646	1,035	484	59
दक्षिण अमरीका	352	446	630	716	804	128
उत्तरी अफ्रीका	145	228	761	929	658	353
दक्षिणी एशिया	289	373	177	414	571	97
दक्षिणी अफ्रीका	37	274	197	118	290	683
केंद्रीय अमरीका	56	87	137	58	114	103

रिकार्ड बेरोजगारी

यूरोपियन इकोनोमिक कमीशन के पूर्वानुमान के अनुसार 'नाइन' के अंतर्गत 1980 में विकास में कमी और बेरोजगारी में बढ़ोतरी दो मुख्य प्रवृत्तियां हैं.

कमीशन ने अपनी वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट में यह भी पूर्व सूचित किया है कि 1980 में 'नाइन' के भुगतान के बैलेंस का बकाया 1979 के 3.3 हजार मिलियन मोनिटरी यूनिट्स (19.3 हजार मिलियन फ्रैंसस) के बजाय 5.2 हजार मिलियन मोनिटरी यूनिट्स तक (30.20 हजार मिलियन फ्रैंच फ्रैंसस) पहुंच जाएगा.

1980 के लिए की गई कमीशन की भविष्यवाणी इस प्रकार है :

—इस वर्ष कुल राष्ट्रीय उत्पादन 8.9% की बजाय कुल 2% होगा.

—इस वर्ष मुद्रास्फीति लगभग 9% तक होगी.

—बेरोजगारी 1979 के 5.6% के मुकाबले 6.2% तक पहुंच जाएगी. 1973 में जबसे कि कमीशन ने आंकड़े प्रस्तुत करने आरंभ किए हैं बेरोजगारी की यह बढ़ोतरी सबसे अधिक है. □

तुर्की में मजदूरों व सेना में संघर्ष

समाचार है कि 14 फरवरी को तुर्की की सेना इजमीर शहर में राज्य द्वारा संचालित एक कपड़े की मिल में बख्तरबंद गाड़ियों व दस्तों की सहायता से घुस गई. इस मिल के मजदूर सुलेमान देमिरल की सैनिक सरकार द्वारा हजारों मजदूरों को निकाले जाने के खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर रहे थे. मिल के क्षेत्र में मजदूरों व सशस्त्र सेना में पिछले एक हफ्ते से झगड़ा चल रहा था और कुछ झड़पें भी हुई थीं.

मिल पर सेना द्वारा किए गए हमले के खिलाफ सारे इजमीर शहर में वामपंथी ट्रेड यूनियनों ने आम हड़ताल का आह्वान किया. एकजुटता के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन में हस्पतालों, बैंकों, तेलशोधक कारखानों, सीमेंट व कपड़ा मिलों के मजदूर काम छोड़कर बाहर आ गए. हड़ताल मुकम्मिल रही. तीन सौ से अधिक मजदूर गिरफ्तार किये गए.

पूर्वी तुर्की के तंसली क्षेत्र में हाल ही में सरकार द्वारा बढ़ाई गई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बरस पड़ी जिससे एक व्यक्ति की जान गई. इस्ताम्बुल में भी अधिकतर दुकानें व व्यावहारिक संस्थान बंद रहे. पुलिस की गोली से यहां भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई.

कोरिया की ट्रेड यूनियन द्वारा सीटू को धन्यवाद

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने कोरिया के मजदूरों तथा आम जनता के लिए एकजुटता प्रकट की है. ये मजदूर अपनी मातृभूमि के एकीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इसी संदर्भ में सीटू ने कोरिया की जनरल फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस को एक संदेश भेजा तथा साथ ही एक लेख 'राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कोरियाई मजदूर वर्ग का संघर्ष' हमारी पत्रिकाओं 'दि वर्किंग क्लास' और 'सीटू मजदूर' (अक्तूबर 1979) में भी छपा. हमारे इस रुख की प्रशंसा करते हुए 24 जनवरी 1980 को जी. एफ. टी. यू. के. की केन्द्रीय कमेटी ने यह संदेश भेजा—

"हमें आपका पत्र पाकर बहुत खुशी हुई जिसमें आपने हमारे लोगों के देश की आजादी और शांतिपूर्ण एकीकरण के संघर्ष में अपना समर्थन दिया था.

आपका समर्थन व एकजुटता हमारे उत्साह को बढ़ाता है.

इस मौके पर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी जनता व मजदूर वर्ग द्वारा लड़ी जा रही आजादी और देश के शान्तिपूर्ण एकीकरण के न्यायसंगत संघर्ष में अपना समर्थन और एकजुटता जाहिर की.

राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महान नेता किम इल सुंग द्वारा स्थापित तीन-सूत्री सिद्धांतों व 5 सूत्री दिशाओं को अहम मानते हुए कोरिया का मजदूर वर्ग व आम जनता आंतरिक व बाहरी पृथकतावादियों के 'दो कोरिया' षड़यंत्र को पराजित कर देगी. कोरिया का मजदूर वर्ग अवश्य ही सम्पूर्ण देश की एकतावद्ध शक्ति द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के ऐतिहासिक उद्देश्य को पूरा करेगा.

हमें पूरा विश्वास है कि आजादी के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में हम दोनों देशों के मजदूर वर्गों व ट्रेड यूनियनों के मित्रतापूर्ण संबंध और सहकारिता अभी और विकसित होंगे. आपके भविष्य के संघर्ष में हम अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं."

ब्रिटिश लेलैंड में मजदूरों की छटनी

ब्रिटिश लेलैंड मोटर कंपनी ने 12 दिसंबर को हजारों मजदूरों की छंटनी किए जाने की धमकी दी है. छंटनी का कारण देशी मंडी में कारों की मांग में कमी बताया गया है.

कंपनी के प्रबंधकों ने छंटनी किए जाने वाले मजदूरों की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है. लेकिन ऐसा समझा जाता है कि कंपनी के कुल 1 लाख मजदूरों में से लगभग आधे मजदूरों को लंबे समय के लिए ले आफ पर रखे जाने की योजना है. □

विदेशी मजदूरों की भारतीय नाविकों के साथ एकजुटता

इंटरनैशनल ट्रांस्पोर्ट वर्कर्ज फेडरेशन (आई. टी. एफ.) के नाविकों ने रौटरडम में मैसर्ज वालम शिप मैनेजमैंट लिमिटेड, हांगकांग का एक जहाज 'साउथ रेनबो' रोक दिया. उनकी मांग थी कि इस जहाज पर काम कर रहे भारतीय नाविकों को आई. टी. एफ. के स्तर के अनुसार मजदूरी दी जाए. विदेशी व भारतीय नाविकों ने एकजुट हो संघर्ष किया व तब तक जहाज को न चलने दिया जब तक 12 नवंबर 1979 को समझौता न हो गया. यह पहली बार है जब कि किसी अन्य देश के नाविकों ने भारतीय नाविकों के संघर्ष के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया हो.

इस जहाज के मालिक भारतीय नाविकों को कम मजदूरी देते रहे हैं. किंतु इस समझौते के अनुसार उन्हें 1,69,657 अमरीकी डालर का भुगतान करना पड़ा है. यह रकम 18 नाविकों का अक्तूबर 1979 तथा दो नाविकों का सितंबर 1979 का बकाया है. समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके अनुसार मालिकों ने 'साउथ रेनबो' के वर्तमान नाविकों को कंपनी में पंजीकृत रखना मान लिया है.

किंतु अब इस कंपनी के स्थानीय एजेंट मैसर्ज मैकिनन मैकनजी कपनी लिमिटेड, कलकत्ता शिप्पिंग मास्टर, कलकत्ता के साथ सांठ-गांठ कर इस द्विपक्षीय समझौते को तोड़ने की तथा इस समझौते के अनुसार नाविकों को मिले आर्थिक लाभ को वापिस लेने की कोशिशें कर रही है. वह नाविकों की सर्विस बुक को जब्त करके उन्हें विक्टिमाइज भी कर रही है. फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया (सीटू) ने इस बारे में एक स्मरणपत्र स्थानीय एजेंटों को तथा इसकी एक प्रति केंद्रीय यातायात व जहाजरानी मंत्रालय को भेजी है. इस स्मरणपत्र में कंपनी की इन हरकतों के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया है तथा मांग की गई है कि विक्टिमाइजेशन के केस वापिस ले लिए जाएं व सभी कागजात नाविकों को वापिस कर दिए जाएं. स्मरणपत्र में यह भी कहा गया है कि यदि इस दिशा में कोई कदम न उठाया गया तो यूनियन को सीधी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

भारतीय नाविक लंबे अरसे से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था (आई एल.ओ) के स्तर के मुताबिक मजदूरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन भारत सरकार के नाविकों की मांगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण न तो विदेशी जहाजरानी कंपनियां उन्हें आई. एल. ओ. स्तर के अनुसार मजदूरी दे पा रही हैं और न ही भारतीय कपनियां उन्हें इस स्तर की मजदूरी देने को तैयार हैं. भारतीय जहाजरानी कंपनियां यह दलील भी पेश कर रही हैं कि आई. एल. ओ. स्तर की मजदूरी अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों को मिलने वाली सामान्य मजदूरी से काफी अधिक है. इसी प्रकार आई. टी. एफ. मजदूरों के साथ संयुक्त संघर्ष के बाद भारतीय नाविक जो मजदूरी पाने में सफल हुए हैं उसे आई. एल. ओ. स्तर से अधिक बताया जा रहा है.

सरकार द्वारा दी जा रही दलीलें कितनी नाकारा हैं यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि नाविकों को एक यात्रा करने के बाद कई-कई महीने बेकार रहना पड़ता है यदि उनकी मजदूरी को एक यात्रा में नौकरी मिलने (साइन आन), यात्रा समाप्त होने पर नौकरी समाप्त होने (साइन आफ) व अगली बार फिर किसी यात्रा पर नौकरी मिलने के सारे समय में फैला दिया जाए तो पता चलेगा कि एक नाविक की औसत मजदूरी बहुत कम है. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार विदेशी जहाजरानी कंपनियों को जो आई. एल. ओ. स्तर से मजदूरी देने को तैयार हैं निर्देश देती हैं कि नाविकों को भारतीय स्तर के अनुसार ही मजदूरी दी जाए. आई. एल. ओ स्तर व भारतीय स्तर के बीच अंतर का धन सरकार इस बिना पर स्वयं ले लेती है कि यह पैसा नाविकों को उनकी बेकारी के समय के दौरान सहायता रूप में दिया जाएगा. किंतु वास्तव में यह पैसा सरकार की पिट्ठू यूनियनों द्वारा बांटा जाता है जो इसका बहुत बड़ा भाग स्वयं ही हड़प लेते हैं व नाविकों को कुछ भी नहीं मिलता.

हमारी सरकार के इस नाविक-विरोधी व शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण विदेशी नाविकों को भी मजदूरी व रोजगार के संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ता है. हमारे नाविकों के अन्य देशों में जाकर कम मजदूरी व आसान शर्तों पर काम करने से उन देशों के मजदूरों का शोषण होता है. इससे नस्लवादी व रंग भेदभावी ताकतों को बढ़ावा मिलता है जो मजदूर वर्ग की एकता के लिए घातक है.

सीटू भारतीय व विदेशी नाविकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार मजदूरी पाने के लिए छेड़े गए संघर्ष का जोरदार समर्थन करती है. वह भारतीय व विदेशी नाविकों में वेतन विभिन्नता रखने की दलील को स्वीकार नहीं करती. साथ ही वह एक देश के मजदूरों को दूसरे देश के मजदूरों के खिलाफ खड़ा करने के सरकार के नापाक इरादों का विरोध करती है.

नाविकों ने जहाज रोका

फारवर्ड सीमैंज आफ इंडिया (सीटू) के सदस्यों ने शिप्पिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के जहाज 'एम. वी. स्टेट आफ आसाम' को 17 दिसंबर 1979 से तीन सप्ताह के लिए दक्षिण केरल बर्थ, कोचीन में रोक लिया. इसकी हालत खस्ता थी व इसमें पानी व भोजन का कोई प्रबंध न था. इसके अतिरिक्त जहाज के कैप्टन का नाविकों के प्रति बर्ताव असहनीय था. कोचीन पोर्ट लेबर यूनियन (सीटू) के मजदूरों ने नाविकों के साथ पूरी एकजुटता का प्रदर्शन किया व यूनियन का झंडा जहाज पर लगा दिया. आंदोलन तब समाप्त कर दिया गया जब प्रबंधकों ने यूनियन के साथ हुए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए.

ग्रिंडलेज बैंक के कर्मचारियों का शानदार संघर्ष

ग्रिंडलेज बैंक के देशभर के लगभग 4 हजार कर्मचारियों ने 5 नवंबर 1979 से हड़ताल पर जाकर बहादुरी से अपना लंबा संघर्ष जारी रखा. यह हड़ताल बैंक उद्योग की लंबी हड़तालों में से एक है. कर्मचारियों ने अपना यह संघर्ष लगभग 3 महीनों तक जारी रखकर देश में काम कर रहे सबसे बड़े विदेशी बैंक की अनेक चालों का मुकाबला दृढता से किया.

इस बहुराष्ट्रीय बैंक में पिछले द्विपक्षीय समझौते के 1973 में समाप्त हो जाने के बावजूद भी प्रबंधक कर्मचारियों की किसी भी मांग को नहीं मान रहे थे जिसके परिणामस्वरूप नया समझौता नहीं हो पाया. इसके अतिरिक्त प्रबंधकों ने 1976 के बाद यूनियन के कर्मचारियों पर झूठे मुकदमे दायर करने शुरू किए. कुछ प्रमुख ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को मनमाने तरीकों से नोकरी से निकाल दिया गया. यही नहीं, इन प्रबंधकों ने वर्षों से चली आ रही बोनस देने के तरीके को भी एकतरफा रूप से समाप्त कर दिया. यद्यपि अन्य सभी विदेशी बैंकों ने अपने कर्मचारियों को अपने तरीके से बोनस देना जारी रखा है, ग्रिंडलेज बैंक ने बोनस की मात्रा को कम करने की मंशा से बोनस कानून की तंग व्याख्या के तहत शरण ली है.

मुख्य मुद्दे

बोनस, अतिरिक्त भत्ता, भोजन भत्ता, कैंटीन सहायता तथा मकान बनाने के लिए ऋण देना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनपर कि बातचीत आगे न बढ़ पाई. किंतु प्रबंधक बोनस को छोड़ अन्य मांगों को आंशिक रूप से मानने को तैयार थे बशर्ते कि कर्मचारी प्रबंधकों को बैंक में मशीनीकरण को बढ़ाने के मार्ग में कोई रुकावट पेश न करे.

यह ब्रिटिश बैंक, जिसके 49% शेयर अमरीकन सिटी बैंक के हैं, ने पिछले 5 वर्षों में 600 से भी अधिक पद समाप्त कर दिये हैं. कर्मचारियों ने जब मशीनीकरण के खतरे की ओर ध्यान दिलाया व अपनी नौकरियों की सुरक्षा का आश्वासन चाहा तो प्रबंधकों ने साफ इंकार कर दिया. बातचीत के दौरान आल इंडिया ग्रिंडलेज बैंक कर्मचारी फेडरेशन ने बहुत सब्र व सहनशीलता का परिचय दिया जबकि प्रबंधकों का रुख अड़ियल रहा. इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों के पास संघर्ष छेड़ने के अतिरिक्त कोई रास्ता न रहा.

प्रतिरोध कार्यवाही

फेडरेशन ने बैंक प्रबंधकों की गलत नीतियों का समय-समय पर विरोध किया व हड़तालों पर गए. पर इनका प्रबंधकों पर कोई असर न पड़ा. इस पर कर्मचारियों के पास अपनी मांगें मनवाने के लिए 5 नवंबर 1979 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न रह गया. यह हड़ताल सभी केंद्रों पर रही और बैंक का सारा काम ठप्प हो गया.

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने 12 और 19 नवंबर को कर्मचारियों व प्रबंधकों की एक संयुक्त बैठक समझोता-वार्ता करने के लिए बुलाई. किंतु यहां भी प्रबंधकों ने अपना अड़ियल व घमंडी रुख न छोड़ा. कलकत्ता में हुई एक बैंक अधिकारी व कुछ अन्य बैंकों के कुछ कर्मचारियों के बीच हुए एक मामूली झड़प का बहाना बनाकर प्रबंधक समझौता-वार्ता की प्रगति को लगातार रोकते रहे. जबकि वे एक ओर मजदूरों की मांगों के प्रति कड़ा रुख अपना रहे थे, वहां दूसरी ओर वे देश भर के सभी प्रमुख अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन छपवा रहे थे जिनमें कर्मचारियों के प्रति ज़हर उगला जा रहा था. अनुमान है कि इस हड़ताल के दौरान विज्ञापनों पर लगभग 60 लाख रुपये से अधिक धन खर्च किया गया.

समर्थन

इस हड़ताल के समर्थन में सीटू,एटक तथा इंटक ने प्रेस वक्तव्य जारी किए. देशभर के बैंक कर्मचारियों ने ग्रिंडलेज बैंक के संघर्षरत कर्मचारियों को नैतिक समर्थन दिया. पश्चिम बंगाल में इसके समर्थन में सभी बैंक कर्मचारियों ने 21 दिसंबर को एक दिन की हड़ताल रखी. दिल्ली में भी 1 जनवरी 1980 को पूरी बैंक हड़ताल रखी. इसी प्रकार केरल में भी बक कर्मचारियों ने राज्यव्यापी स्तर पर प्रदर्शन व सभाएं कीं.

ए.आई.बी.ई.ए. द्वारा आलोचना नही

खेद की बात है कि आल इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसियेशन इस हड़ताल में अपना सही रोल अदा नहीं किया. इस एसोसियेशन ने हड़ताल के आरंभ होने के एक महीने बाद तक कोई प्रेस वक्तव्य जारी नहीं किया. ए.आई.बी.ई.ए. की महासभा ने बड़ौदा में हुई अपनी एक बैठक में केवल नाममात्र के लिए एक प्रस्ताव पास किया. इस प्रस्ताव की शुरुआत इस प्रकार की गई है—

"30 नवंबर व 1 दिसंबर को बड़ोदा में हुई ए.आई.बी.ई.ए. की महासभा की यह बैठक देश के सबसे बड़े विदेशी बैंक ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों को 5 नवंबर 1979 से की गई सफल अनिश्चित हड़ताल के लिए बधाई देती है.

"ग्रिंडलेज़ बैंक के कर्मचारियों की मांगों में आर्थिक मांगें, अन्य विदेशी बैंकों में दिए जाने वाले सीमांत फायदे, बैंक प्रबंधकों द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न रैशनलाइज़ेशन तरीकों व सीमित व्यापार नीति का विरोध शामिल है."

इस सारे प्रस्ताव में प्रबंधकों की निंदा में कहीं कुछ नहीं कहा गया और न ही प्रबंधकों की नौकरियों को कम करने की नीति का कहीं जिक्र ही है. ग्रिंडलेज़ बैंक के ट्रेड यूनियन के नेताओं पर हुए अत्याचारों की ओर भी कहीं संकेत भर भी नहीं है. भारत सरकार की ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप न करने की नीति के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है.

अंत में प्रस्ताव केवल सरसरी तौर पर कहता है : "ऊपर दिए तथ्यों की पृष्ठभूमि में तथा इस हड़ताल के लंबा खिचने को नजर में रखते हुए महासभा प्रबंधकों से मांग करती है कि वे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों पर ठीक कदम उठाएं. महासभा राज्य स्तर की संस्थाओं का आह्वान करती है कि वे संघर्षरत ग्रिंडलेज़ बैंक कर्मचारियों के समर्थन में एकजुटता ज़ाहिर करें."

ढुलमुल ए.आई.बी.ई.ए.

ग्रिंडलेज़ बैंक कर्मचारियों के लिए समर्थन ज़ाहिर करने के लिए सभी बैंक कर्मचारियों को एक दिन की हड़ताल का आह्वान करने के बजाय ए.आई.बी.ई.ए. ने यह मामला राज्य इकाइयों पर छोड़ दिया. महासभा में रखा गया देशव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव ए.आई.बी.ई.ए. के नेताओं ने अस्वीकार कर दिया. यह बहुत ही अफसोसजनक बात है कि एसोसियेशन का नेतृत्व ग्रिंडलेज़ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में ऐसा ढुलमुल रवैया अपनाएं.

ए. आई. बी. ई. ए. के नेतृत्व के इस रुख की तुलना इसी मसले पर अपनाए गए इंटक के रुख से करने पर यह और स्पष्ट हो जाता है. इंटक के अध्यक्ष ए. पी. शर्मा ने इस संघर्ष को "पूरा समर्थन" देते हुए (ए. आई. बी. ई. ए. के प्रस्ताव में ये दोनों ही शब्द गायब हैं) कहा: "इस बहुराष्ट्रीय बक के प्रबंधक उच्च अधिकारियों को अधिक वेतन देने के मामले में अत्यधिक उदार हैं किंतु कर्मचारियों के दुःखों व शिकायतों को मिटाने के लिए हठपूर्ण रुख अपनाते हैं. प्रबंधकों ने मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं. यही नहीं उन्होंने इस मामले को सही ढंग से सुलझाने के लिए केंद्रीय सरकार के श्रम विभाग के प्रयत्नों को भी नकार दिया है".

इंटक के वक्तव्य में आगे कहा गया है: "हालांकि देश भर के सभी विदेशी बैंकों की आय का 60 प्रतिशत यह बैंक अकेले कमाता है, इस पर भी इसने कर्मचारियों को सीमांत लाभ व बोनस देने से भी इंकार कर दिया है. याद रहे कि बोनस तथा सीमांत लाभ अन्य छोटे बैंक भी अपने कर्मचारियों को बराबर देते चले आ रहे हैं. रैशनलाइजेशन के नाम पर बैंक में स्वचालित मशीनों का प्रयोग दिनों-दिन बढ़ रहा है जिससे कि बैंक में रोजगार की संभावनाएं गिर रही हैं. पिछले 6 वर्षों में 600 से अधिक पद समाप्त कर दिए गए हैं. एक ओर तो यह सब हो रहा है जबकि दूसरी ओर बैंक का व्यापार व मुनाफा लगातार बढ़ रहा है."

सीटू और एटक द्वारा समर्थन

ग्रिंडलेज़ बैंक कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन व प्रबंधकों के रुख के विरुद्ध जारी किया गया सीटू व एटक का संयुक्त वक्तव्य अधिक सशक्त है. बैंक कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि ए. आई. बी. ई. ए. के नेतृत्व का रुख ढांवाडोल क्यों था जबकि इसी मामले पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने कर्मचारियों का समर्थन देते हुए सही व दृढ़ रुख अपनाया.

ए. आई. बी. ई. ए. के इस ढुलमुल रुख ने ग्रिंडलेज़ बैंक के प्रबंधकों के रुख को और भी जिद्दी बना दिया. यहां तक कि जब हड़ताल लंबी खिंच रही थी तब भी ए. आई. बी. ई. ए. के नेतृत्व ने किसी देशव्यापी हड़ताल का आह्वान नहीं किया. इस बहुराष्ट्रीय बैंक के प्रबंधक एसोसियेशन के इस रुख का अर्थ भली प्रकार समझ रहे थे.

ए. आई. बी. ई. ए. द्वारा विश्वासघात

केंद्रीय श्रम मंत्रालय के निर्देश पर 27 दिसंबर को द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई किंतु प्रबंधक अपने जिद्दी रुख पर अड़े रहे. केंद्रीय सरकार ने तब दिल्ली में 27 जनवरी को त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई. किंतु इस वार्ता के शुरू होने के 2-3 दिन पहले ए. आई. बी. ई. ए. के प्रभाव में काम करने वाले दिल्ली और श्रीनगर इकाइयों ने हड़ताल वापस ले ली. इस एकतरफा व कर्मचारी विरोधी कार्रवाई ने हड़ताली कर्मचारियों के उद्देश्य को गहरा आघात पहुंचाया.

इस आघात के बावजूद अन्य केंद्रों के बहादुर कर्मचारियों ने मुश्किलों के बावजूद संघर्ष जारी रखा. दिल्ली में भी कई कर्मचारियों ने स्थानीय यूनियन के नेतृत्व की तीखी आलोचना की जिसने कि मुश्किल की घड़ी में प्रबंधकों के आगे घुटने टेक दिए.

राष्ट्रीय ट्रिब्युनल

आल इंडिया ग्रिंडलेज़ बैंक एम्पलाईज फेडरेशन प्रबंधकों के साथ लंबी बातचीत के बाद यह महसूस करती है कि केंद्रीय सरकार बैंक प्रबंधकों पर मजदूरों की मांगे मानने के लिए जोर नहीं डाल रही है. इस मामले को सुलझाने का एक विकल्प यह था कि इस मामले को नेशनल ट्रिब्युनल को सौंप दिया जाए. परंतु प्रबंधक मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए तैयार न थे. फेडरेशन ने इसलिए 5 फरवरी से हड़ताल समाप्त करने का निश्चय किया. इसके बाद केंद्रीय सरकार ने हड़ताल के मुख्य मुद्दे को नेशनल ट्रिब्युनल के पास भेज दिया जिसका मुख्य कार्यालय बंबई में है.

आत्मसमर्पण नहीं

लबी हड़ताल के लौह आवरण में सुरक्षित ग्रिंडलेज़ बैंक के कर्मचारी आत्मविश्वास और एकता के साथ काम पर वापिस गए. यह सही है कि वे अपनी सभी मांगों पर विजय न पा सके. किंतु यह भी गर्व की बात है कि उन्होंने बहुराष्ट्रीय बैंक के आदेशों के आगे घुटने नहीं टेके.

सीटू ने बधाई दी

सीटू ग्रिंडलेज़ बैंक कर्मचारियों को उनकी गौरवपूर्ण हड़ताल पर बधाई देती है. यह उन अन्य बैंकों के कर्मचारियों का धन्यवाद करती है जिन्होंने ग्रिंडलेज़ बैंक के कर्मचारियों का साथ दिया.

केरल के वामपंथी मोर्चे को बधाई

सीटू की पश्चिम बंगाल शाखा के महासचिव मनोरंजन राय ने सी०पी०-आई०(एम०) की केरल राज्य समिति के सचिव को तार द्वारा बधाई संदेश भेजा है. इस संदेश में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग की ओर से केरल के मजदूर वर्ग व जनता की हाल ही में हुए राज्य विधान सभा के चुनावों में हुई भारी जीत पर बधाइयां व लाल सलाम दिया है. □

जल परिवहन मजदूरों की हड़ताल जारी

सीटू संबद्ध सैंट्रल इंलड वाटर ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन (फ्लोटिंग वर्कर्ज) के नेतृत्व में इस निगम के 1500 फ्लोटिंग मजदूर अपनी 4 महीने पुरानी हड़ताल को जारी रखने के निश्चय पर दृढ़ हैं. ये मजदूर 1977 में दाखिल किए गए अपने मांगपत्र के समर्थन में 25 अक्तूबर 1979 से हड़-पर हैं. मांगपत्र में शामिल मांगों में 8 घंटे काम का दिन, वेतनमानों में संशोधन तथा मंहगाई भत्ते की मांगें प्रमुख हैं. इस केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित संस्थान के प्रबंधकों ने मजदूरों की इन जायज मांगों को मानने से इंकार कर दिया है. हड़ताल के कारण कलकत्ता और आसाम (वाया बंगलादेश) व कलकत्ता और हल्दिया के बीच माल यातायात पिछले 4 महीनों से ठप्प है.

राज्य के श्रम मंत्री ने निगम को सुझाव दिया था कि वे समझौते के लिए फार्मूला तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन करें. किंतु प्रबंधकों ने यह सुझाव मानने से साफ इंकार कर दिया. हड़ताल तोड़ने के लिए प्रबंधकों ने हाल ही में पोर्ट श्रमिक यूनियन के नेताओं के साथ एक मजदूर-विरोधी समझौता किया है. किंतु सीटू यूनियन ने, जिसे निगम के अधिकतर मजदूरों का समर्थन प्राप्त है, इस समझौते को मजदूर-विरोधी करार देकर इसे मानने से इंकार कर दिया है. 3 फरवरी को टी. टी. रोड मैदान में हुई एक सभा में मजदूरों ने इस हड़ताल को तब तक चलाने के अपने निश्चय को दोहराया है जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता. इस सभा में यूनियन के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, एम. पी. सचिव प्रलय तालुकदार, फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया (सीटू) के अध्यक्ष एम. ए. सईद, राज्य के कानून मंत्री हाशिम अब्दुल हलीम तथा अन्य नेताओं ने भाषण दिए.

लागन फैक्ट्री में 11 साल बाद मजदूरों की बहाली

आयरलैंड के एकाधिकारी संस्थान द्वारा संचालित लागन जूट मशीनरी फैक्ट्री में 1969 में 12 मजदूरों को राजनीतिक आधार पर छंटनी कर दिया गया था. उस समय पश्चिम बंगाल में दूसरी वामपंथी मोर्चा सरकार सत्तारूढ़ थी. इस मामले पर मजदूरों के एकजुट संघर्ष तथा तत्कालीन श्रममंत्री कृष्णपद घोष के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रबंधक इन छटनी हुए मजदूरों को वापस लेने पर राजी हो गए थे. किंतु इससे पहले कि प्रबंधक इस समझौते को लागू करते, कांग्रेस द्वारा किये गए षड्यंत्रों के कारण मोर्चा सरकार को गिरा दिया गया पिछले 11 साल से मजदूर अपने साथियों की बहाली तथा अन्य मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इस बीच 1973 में सीटू संबद्ध लागन श्रमिक कर्मचारी यूनियन बन गई.

1977 में वामपंथी मोर्चा सरकार के बनने के बाद मजदूरों ने मांग की कि इस फैक्ट्री को सरकार अपने हाथ में ले ले. लंबे संघर्ष के बाद केंद्र की जनता सरकार ने फैक्ट्री को अपने हाथ में ले तो लिया लेकिन इन छंटनी किए गए 12 मजदूरों की बहाली की मांग पूरी न हुई. मजदूरों ने अपने संघर्ष को और तेज किया. इस मुद्दे पर 20 अक्तूबर 1979 को एक दिन की हड़ताल भी की गई. राज्य श्रममंत्री के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार प्रबंधकों ने जनवरी 1980 से जून 1980 के बीच इन मजदूरों को वापिस ले लेना मान लिया. 17 जनवरी को जब इनमें से पहले 4 मजदूर काम पर गए तो विजय समारोह मनाया गया.

मजदूरों, कर्मचारियों व अध्यापकों का संयुक्त सम्मेलन

12 जुलाई कमेटी' की प्रेरणा से मजदूरों कर्मचारियों व अध्यापकों का एक संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलन कलकत्ता के इंडिया एसोसियेशन हाल में 8 फरवरी को संपन्न हुआ. यह सम्मेलन केंद्रीय सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अपनाई जा रही मजदूर-विरोधी नीतियों तथा एकाधिकारी घरानों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के दमन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आयोजित किया गया था. सम्मेलन की अध्यक्षता इंशोरेंस एम्पलाईज यूनियन (पूर्वी क्षेत्र) के महासचिव शांति भट्टाचार्य ने की. पश्चिम बंगाल न्यूज-पेपर एम्पलाईज फेडरेशन के नेतृत्व में पत्रकार व कर्मचारी जुलूस की शक्ल में स्टेट्समैन हाउस आए और सम्मेलन में भाग लिया.

अन्य वक्ताओं के अतिरिक्त इस सम्मेलन में कोआर्डिनेशन कमेटी आफ सेंट्रल गवर्नमैंट वर्कर्ज एंड एम्पलाईज एसोसियेशन के महासचिव मनोरंजन राय, अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी एसोसियेशन के महासचिव अरविंद घोष तथा सीटू सचिव नीरेन घोष एम. पी. ने भाषण दिए.

सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें राज्य के मजदूरों, कर्मचारियों व अध्यापकों का आह्वान किया गया कि वे 19 फरवरी को होने वाले प्रदर्शन व जुलूस में हिस्सा लें. ये प्रदर्शन विभिन्न औद्योगिक संस्थानों व कार्यालयों में मजदूरों व कर्मचारियों के संघर्षों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है.

सम्मेलन में मजदूरों, कर्मचारियों व अध्यापकों से यह भी कहा गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गेट सभाएं, ग्रुप सभाएं, प्रचार आदि का काम करें तथा इस प्रकार 19 फरवरी के इस आम प्रदर्शन को सफल बनाएं.

आक्सीजन मजदूरों की जीत

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड की सभी इकाइयों व मुख्य कार्यालय के मजदूर व कर्मचारी वर्कमैंज यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में पिछले दो साल से एकजुट संघर्ष की राह पर थे. उनकी जायज मांगों के प्रति प्रबंधकों का रुख असहयोग-पूर्ण व अड़ियल था. मजदूरों ने अपना संघर्ष कई स्तरों पर चलाया जिसमें आम प्रदर्शन करना, प्रतिनिधिमंडल भेजना तथा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल शामिल थे. अंत में, राज्य श्रम मंत्री तथा श्रम आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधकों को यूनियन के साथ 7 फरवरी को समझौता करना पड़ा. इस समझौते के तहत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी रु. 656.58 होगी, मजदूरों व कर्मचारियों की मजदूरी में रु. 70 से लेकर रु. 106 प्रतिमाह बढ़ोतरी होगी व प्रत्येक कर्मचारी को 1 सितंबर 1979 तक के बकाया के रूप में 1 हजार रुपये बकाया मजदूरी मिलेगी.

जूट मजदूरों ने बोनस मांग दिवस मनाया

सीटू, एटक, इंटक तथा अन्य केंद्रीय यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर इन यूनियनों से संबद्ध पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के सभी मजदूरों ने 15 फरवरी को 'मांग दिवस' मनाया. इस दिन 20 प्रतिशत बोनस की मांग के लिए मजदूरों ने मिलों के सामने प्रदर्शन किए. प्रबंधकों को स्मरणपत्र भी दिए गए जिन-पर हजारों मजदूरों के हस्ताक्षर थे.

स्मरणपत्र में बताया गया है कि मजदूरों ने 10 अक्तूबर 1979 को इसी मांग के लिए 1 घटे की हड़ताल रखी थी. किंतु अधिकारियों ने 1979 के लिए 8.33 प्रतिशत बोनस ही दिया. मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारी बोनस की मांग को नहीं मानते हैं तो मजदूरों को एक व्यापक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा जिसमें सभी मिलों में एक दिन की हड़ताल भी शामिल है.

एच. एस. सी. एल. में द्विपक्षीय कमेटी

समूचे देश के एच.एस.सी.एल. कर्मचारियों की शिकायतों के मामलों के लिए एक तदर्थ ज्वाइंट कमेटी बनाई जायेगी. यह निर्णय 11 फरवरी को कलकत्ता में एच०एस०सी०एल० के मुख्यालय में प्रबंधकों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एक मीटिंग में लिया गया.

सीटू ने सभी कर्मचारियों के गुप्त मतदान के आधार पर कमेटी बनाने की मांग की. लेकिन इंटक के प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया. इसलिए प्रबंध जनवादी सिद्धांतों पर कमेटी बनाने के लिए तैयार नहीं है.

मीटिंग में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एच.एस.सी.एल. के काम करने के तरीके की आलोचना की और अधिकारियों तथा ठेकेदारों के बीच हो रही सांठ-गांठ की ओर संकेत किया. हालांकि एच.एस.सी.एल. का निर्माण विभागीय-कर्मचारियों के द्वारा निर्माण-कार्य को विकसित करने के लिए हुआ था लेकिन ठेकेदारों की संख्या एच.एस.सी.एल. में लगातार बढ़ रही है. सीटू प्रतिनिधियों ने संकेत किया कि कैसे भिलाई में ठेकेदार मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और अधिकारी इस घांघली को रोकने में असफल हैं.

कई नेताओं ने एच.एस.सी.एल. में नौकरी की सुरक्षा की कमी की ओर भी संकेत किया. प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कर्मचारियों की नौकरियों को खतरा होता है और इस समस्या का हल निकालना जरूरी है ताकि कर्मचारी अपने भविष्य के बारे में सुरक्षा महसूस करें. हाल ही में कई संघर्ष इस असुरक्षा के कारण ही हुए.

यह फैसला किया गया कि ट्रेड यूनियनों की मांग-पत्र में कर्मचारियों की बाकी मांगों पर बहस द्विपक्षीय कमेटी में होगी.

यह भी नोट किया गया कि कंस्ट्रक्शन-वेज-बोर्ड के लिये प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है, परंतु ऐसे वेतन बोर्ड की नियुक्ति करने में बहुत ज्यादा देर लगा दी गई है. यदि वेतन-बोर्ड को बनाने में देर लगाई गई तो ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि महसूस करते हैं कि एच.एस.सी.एल. कर्मचारियों के वेतन तय करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत अलग से की जा सकती है.

राज्य सरकार कर्मचारियों का सम्मेलन

राज्य सरकार कर्मचारी एसोसियेशन का 58वां व 59वां सम्मेलन सिलिगुड़ी में 9 से 12 फरवरी 1980 में संपन्न हुआ. अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी फैडरेशन के महासचिव अरविंद घोष ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. सम्मेलन में 1200 से अधिक प्रतिनिधि व प्रेक्षक उपस्थित थे. सम्मेलन में एक मांगपत्र बनाया गया तथा इसके आधार पर आंदोलन छेड़ने का कार्यक्रम बनाया गया. सम्मेलन में एक नई कार्य समिति का चुनाव हुआ जिसके अध्यक्ष जगदीश दत्त व महासचिव हीरेन सान्याल होंगे.

हांसी स्पिनिंग . . .

[पृष्ठ तीन से आगे]

सीटू, एटक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और लोकदल के राज्य नेताओं ने इलाके का दौरा किया और एक वकील के संयोजन में नागरिक अधिकार कमेटी बनाई है. इस कमेटी के तहत 25 फरवरी को हांसी में एक जबरदस्त प्रतिरोध रैली की गई.

सीटू के सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने एक बयान जारी करके इस नृशंस हमले की कड़ी निंदा की है और इसकी सार्वजनिक जांच की मांग की है. गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और जनवादी लोगों का आह्वान किया है कि वे सरकार व पुलिस के साथ साजिश करके प्रबंधकों की निजी गुंडा फौज द्वारा मजदूरों के बेरहमी दमन के खिलाफ आवाज उठाएं.

सीटू को हिसार जिला कमेटी ने चेतावनी दी है कि गुंडों के हमलों से मजदूरों की रक्षा के लिए यदि तुरंत कोई कदम न उठाए गए तो समूचे हरियाणा में मजदूर अपनी सुरक्षा की मांग के लिए आंदोलन करेंगे.

विकास के वैकल्पिक रास्ते को अपनाओ—राममूर्ति का आह्वान

सीटू महासचिव पी. राममूर्ति ने मजदूरों का आह्वान किया है कि वे देश की अर्थव्यवस्था को वामपंथी विकल्प की ओर ले जाने के लिए संघर्ष करें. वे 10 फरवरी को पटना में हुए बिहार स्टेट सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के खुले सम्मेलन में बोल रहे थे.

राममूर्ति ने कहा कि आने वाले दिनों में मजदूरों को अपने संघर्ष को अधिक मजबूत व तीखा बनाना होगा. उन्होंने बताया कि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने देश में पूंजीवाद की स्थापना का प्रयत्न किया. किंतु पूंजीवाद के सुनिश्चित विकास के लिए सामंती शोषण को समाप्त करना, देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चुंगल से छुड़ाना तथा एकाधिकारी घरानों के विकास को रोकने के रूप में जो आधार तैयार करना जरूरी था वह नहीं किया गया. इस प्रकार पूंजी निर्माण का सारा भार मजदूरों, किसानों तथा अन्य मेहनतकश लोगों के कंधों पर आ गया. इसका परिणाम आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बढ़ते हुए करों का दबाव, मुद्रास्फीति, रोजगार में कमी, मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में कमी तथा बढ़ती बेरोजगारी में हुआ है. इजारेदारों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. दवा उद्योग के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शिकजा और भी मजबूत हो गया है.

संगठित मजदूर वर्ग के आंदोलनों की लहरों को रोकने में असमर्थ शासक वर्ग अब मजदूरों की बढ़ती हुई एकता को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं. वे खेतिहर मजदूरों और किसानों को औद्योगिक मजदूरों व कर्मचारियों से आपस में लड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं. देहात में वे जाति भावनाओं को बढ़ावा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं. राममूर्ति ने बिहार के जहानाबाद जिले में पारसबीघा में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बताया कि यह दुःखद घटना जमींदारों, पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के नापाक गठजोड़ का परिणाम है जो बटाईदारों व गरीब किसानों की जमीनों को हड़पना चाहते थे. उन्होंने संगठित मजदूर वर्ग से कहा कि वे खेतिहर मजदूरों व निर्धन किसानों की मांगों का समर्थन करें व उनके संघर्ष में पहलकदमी करे. उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल मजदूर वर्ग ही विकास के वैकल्पिक पथ की ओर अग्रसर होने की दिशा में पहलकदमी कर सकता है और देश की वामपंथी व जनवादी ताकतों को लामबंद कर सकता है जिससे कि वे देश की अर्थ-व्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों, इजारेदारों व भूस्वामियों के चंगुल से छुड़ा सकें.

सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने यूनियन के सदस्यों को दवा उत्पादक संघों विशेषकर बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित कम्पनियों के खिलाफ छेड़े गए संघर्ष पर बधाई दी और उन्हें सीटू की ओर से पूरे समर्थन का आश्वासन दिया. एटक, यूटक तथा बी. एस. एस. आर. यूनियन के नेताओं ने भी खुले अधिवेशन में भाषण दिए.

इससे पहले बी. एस. एस. आर. यूनियन की सिल्वर जुबली वार्षिक आम सभा का कार्य अधिवेशन 8 और 9 फरवरी को हुआ था. इसका उद्घाटन यूनियन अध्यक्ष पी. के. गांगुली ने किया. पी. के. गांगुली को पुनः सर्वसम्मति से यूनियन का अध्यक्ष व सी. एस. शर्मा को महासचिव निर्वाचित किया गया.

सीटू मजदूर

एक प्रति की कीमत 50 पैसे

वार्षिक चंदा छः रुपये

लिखें . सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-1

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979		
	अक्तू.	नवं.	दिसं.
बिहार			
जमशेदपुर	367	359	365
झारिया	364	353	362
कोडर्मा	395	399	402
मोंघाइर	380	397	394
नोआमुंडी	382	384	388
गुजरात			
अहमदाबाद	363	353	360
भाव नगर	374	377	391
हरियाणा			
यमुना नगर	385	387	395
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	358	353	356
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	391	386	390
भोपाल	363	364	369
ग्वालियर	383	376	381
इंदौर	374	378	381
महाराष्ट्र			
बंबई	365	365	375
नागपुर	368	364	370
शोलापुर	376	379	387
पंजाब			
अमृतसर	377	381	387
राजस्थान			
अजमेर	367	369	380
जयपुर	384	386	393
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	365	364	368
सहारनपुर	379	370	373
वाराणसी	414	420	383
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	375	379	383
कलकत्ता	357	359	366
दार्जीलिंग	311	312	315
हावड़ा	345	344	353
जलपाइगुरी	313	312	311
रानीगंज	363	367	375
दिल्ली	390	390	395
भारत	365	368	374

(लेबर ब्यूरो, शिमला) *

रेल कर्मचारियों को भड़काया जा रहा है

कैटगरी-वाईज एसोसियेशनों के बारे में रेलवे बोर्ड की नीति में हाल ही में परिवर्तन के लक्षण दीख रहे हैं. साथ ही अफसरशाही का एक वर्ग ट्रेन-सपर्दो को भली प्रकार न चला पाने में अपनी असफलता को छिपाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को आंदोलन की राह पर जाने के लिए भड़का रहे हैं.

उदाहरण के लिए, रेलवे अधिकारियों ने उत्तरी रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के लिए लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के साथ मार्च 1979 में एक समझौता किया था जिसपर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई. इस धोखेबाजी से मजबूर होकर लोको मजदूरों ने 22 फरवरी से 10 घंटे से अधिक काम न करने तथा आफिशेटिंग प्रमोशन स्वीकार न करने का निश्चय किया है. समझौते को न लागू किए जाने के बारे में अधिकारियों के पास क्या दलील है ? इसी प्रकार एसोसियेशन के दिल्ली डिवीजन के साथ जून 1979 में हुए समझौते को अब तक न लागू किए जाने के बारे में अधिकारियों के पास क्या तर्क हैं ? इसी प्रकार मध्य रेलवे के लोको कर्मचारियों की छोटी-2 मांगों को न मानने के क्या कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें नियमानुसार काम करने का आंदोलन करना पड़ा ? इसी प्रकार उत्तरी रेलवे के लुधियाना केंद्र पर 6 फरवरी 1980 का शटिंग व केबिन स्टाफ को पुरानी बकाया राशि न दी गई जबकि इसके बिल तैयार थे और इस राशि का 7 फरवरी को आसानी से भुगतान किया जा सकता था. इस रवैये का विरोध करते हुए मजदूरों ने बिना बकाया राशि के अपना सामान्य वेतन भी लेने से इन्कार कर दिया अधिकारियों के इस कल्पनादीन रवैये के पीछे क्या औचित्य था.

मुरादाबाद डिवीजन में हालात विस्फोटक स्थिति पर पहुंच गए है जब मजदूर स्मरण या संयुक्त पालिका प्रस्तुत करते हैं तो इसे अधिकारी पद कदमर लेने से इन्कार कर देते है कि एसोसियेशन मान्यता प्राप्त नहीं है. अधिकारियों के इस रवैये से कानून व व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है. (देखिए अंक फरवरी 80 का) 18 फरवरी को जब इंजीनियरिंग विभाग के कुछ मजदूर उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में 15 दिन का वेतन मांगने के लिए अधिकारियों के पास गए तो अधिकारियों ने उनकी बात सुनने से भी इन्कार कर दिया. याद रहे कि यह बोनस मजदूरों के अन्य वर्गों को दे दिया जा चुका है. इस मामले पर बात करने पर अधिकारी तभी राजी हुए जब इलैक्ट्रिक, लोको मैकेनिकल, कैरेज एंड वैगन तथा लोको रनिंग के सभी मजदूरों ने संयुक्त रूप से डिविजनल रेलवे मैनेजर पर दबाव डाला. यह भी पाया गया है कि अफसर लोग मजदूर नेतृत्व के एक वर्ग को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं जिससे कि मजदूरों की एकता समाप्त हो जाए.

यह भी समझा जाता है कि क्षेत्रीय स्तरों पर गठित लोको रनिंग स्टाफ ग्रीवेंस कमेटियां औपचारिकता मात्र रह गई हैं. इनमें या तो बहस किए गए मुद्दों पर कोई फैसला ही नहीं लिया जाता और यदि लिया भी जाए तो उन्हें सही प्रकार से अमल में नहीं लाया जाता. ऐसा भी समझा जाता है कि हालांकि रेलवे बोर्ड ने आल इंडिया रेलवे एम्पलाईज कानफेडरेसन को यह विश्वास दिलाया था कि कानफेडरेशन से संबंद्ध हर केटेगरी यूनियन की 5 मांगों को माना जाएगा. किंतु एक वर्ष से भी ऊपर हो गया है और इन समझौतों की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है.

ये सभी तथ्य इस बात को जाहिर करते हैं कि या तो सभी संगठनों से बात करने की वह पहली नीति जिसको दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनें विरोध करती रही, अब खत्म कर दी गई है और रेलवे मजदूरों को बिना किसी तैयारी के संघर्ष करने के लिए भड़काया जा रहा है. 1979 के दौरान कई उद्योगों में वेतन समझौतों के बाद, रेलवे मजदूरों व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बीच वेतन में काफी ज्यादा फर्क आ गया है. इस मुद्दे पर मान्यताप्राप्त फेडरेशनों द्वारा संघर्ष करने की कोई योजना नहीं है. कानूनी बोनस की बजाए उत्पादन से जुड़े बोनस को मान लेना इस बात का सबूत है. रिक्त स्थानों को भरने से मना करना, पुराने रोलिंग स्टाक के बदले बगैर और नई रेले चालू करना और अन्य कदम जो खास तौर से चालन व मरम्मत से संबंधित रेलवे मजदूरों के कार्यभार को बढ़ा रही है, रेलवे मजदूरों में असंतोष पैदा कर रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा मजदूर केटेगरी-वाइज एसोसिएशनों में शामिल हो रहे हैं और संघर्ष भी बढ़ रहे हैं. अधिकारी मजदूरों को तैयारी के बिना संघर्ष में जाने के लिए इस प्रकार भड़का रहे हैं.

बैठकें और सम्मेलन

आल इंडिया रेलवे मेंज फेडरेशन (ए. आई. आर. एफ.) की कार्यसमिति की मीटिंग 4 व 5 फरवरी को दिल्ली में हुई. इसमें फैसला किया गया कि 1978 व 1979 दोनों वर्षों का वार्षिक सम्मेलन अगस्त 1980 में एक साथ किया जाए.

आल इंडिया मिनिसटेरियल स्टाफ एसोसिएशन की राष्ट्रीय मीटिंग 11 फरवरी से 13 फरवरी 1980 तक मदुरई में हुई. समर मुखर्जी एम. पी. ने मीटिंग में बधाई संदेश भेजा.

हिमाचल प्रदेश

मजदूरों की वेतन वृद्धि

महतपुर, जिला ऊना में टर्पेन्टाइन आयल लिमिटेड में टर्पेन्टाइन इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन ने अक्तूबर 1979 में पांच दिन की सफल हड़ताल की. जिसके परिणाम-स्वरूप कर्मचारियों ने प्रतिमास 71 से 95 रुपये तक की वेतन वृद्धि प्राप्त की. फैक्ट्री के 125 कर्मचारियों में से 90 यूनियन में हैं.

मजदूरों ने बोनस जीता

हाइन शक्ति मजदूर यूनियन के नेतृत्व में त्रिबानी कंस्ट्रक्शन के मजदूरों ने 1979 साल का 8·33% बोनस जीत लिया. सभी छंटनी किए हुए 23 मजदूरों को भी वापिस ले लिया गया है. यूनियन अन्य विचाराधीन मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रही है.

होटल कर्मचारियों का विजयी संघर्ष

शिमला में 26 तथा 27 दिसंबर 1979 को होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन (सीटू) ने होटल, रेस्टोरेंट, चाय, ढाबा और हलवाई मजदूरों की दो दिन की हड़ताल आयोजित की. ए. आइ. टी. एम. सी. से संबंधित होटल वर्कर्स यूनियन ने भी हड़ताल में भाग लिया.

हड़ताल से पहले और उसके दौरान कई प्रदर्शनों का आयोजन किया गया. 26 दिसंबर को आर. एस. एस. के कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जिससे उनमें से दो घायल हो गए. हड़ताली संघर्ष के परिणाम-स्वरूप एक समझौता हुआ जिसमें 15 से 25 रुपये प्रतिमास वेतनवृद्धि के अलावा दुकानों और व्यावहारिक कारोबार कानून भी लागू होगा.

अब उनका न्यूनतम वेतन 130 से बढ़कर 155 रुपये प्रतिमास हो गया है. काम करने के घंटे 16 से घटाकर 8 घंटे कर दिए गए हैं. साप्ताहिक छुट्टी भी दी गई है. इसके अलावा कर्मचारी 18 दिन की सवेतन छुट्टी, 7 दिन की केजुअल छुट्टी, 7 दिन की मेडिकल और अन्य छुट्टियां भी हैं.

हरियाणा

हड़तालो मिल्टन साइकिल मजदूरों पर पुलिस का हमला

सोनीपत में, मिल्टन साइकिल फैक्ट्री के कर्मचारी दमन और विक्टिमाइजेशन के विरुद्ध और अपनी मांगों के पक्ष में 10 दिसंबर 1979 से फैक्ट्री गेट पर धरना और भूख हड़ताल पर हैं. प्रबंधक और स्थानीय प्रशासन की साजिश पर पुलिस ने हड़ताली मजदूरों पर आतंक ढाया, कई हड़तालियों को गिरफ्तार कर लिया तथा 10 जनवरी को कर्मचारियों के टेंट तथा अन्य संबंधित चीजों को जब्त कर लिया. कई स्मरण-पत्र विभिन्न अधिकारियों को दिए गए लेकिन सब बेकार रहे. अब प्रबंधकों मे कई कर्मचारियों के फैक्ट्री में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. और आगे विक्टिमाइजेशन शुरू कर दिया है. मजदूरों के विरुद्ध पुलिस ने कई झूठे केस भी दायर किए हैं.

हरियाणा पोलीस्टील में तनाव

राज्य अधिकृत हरियाणा पोलीस्टील कंपनी के हालात तब अधिक तनावी हो गए जब प्रबंधक यह घोषणा करने के बावजूद भी कि 13 फरवरी को प्लांट का कार्य फिर शुरू कर दिया जायेगा, प्लांट में काम शुरू करने में असफल रहे. इसने कर्मचारियों में गुस्सा भर दिया है. इससे पहले उन्होंने नियमित शिफ्टों में नौकरी पर आने के लिए कहा था फिर यूनियन की सलाह के बिना ही शिफ्टों के समय भी बदल दिये गए हैं.

यह जाहिर है कि 19 दिसंबर 1979 से प्रबंधक मजदूरों की छंटनी कर सताने को तुले हैं. हरियाणा पोलीस्टील वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने प्रबंधकों और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे अपने इस रवैये को नहीं बदलेंगे तो कर्मचारी अपने संघर्ष को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे.

पहले यूनियन ने 8 से 11 फरवरी तक 4 दिन की भूख हड़ताल की थी और बाद में एक रैली आयोजित की थी. याद रहे कि यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया गया है और कुछ को मुअत्तिल कर दिया गया है.

यूनियन के चुनाव में सीटू ने बी.एम.एस. को हराया

नवभारत इंडस्ट्री, रोहतक में कर्मचारी यूनियन आदर्श इंडस्ट्री वर्कर्स यूनियन के लिए पदाधिकारियों और कार्यकारिणी कमेटी के 31 जनवरी को हुए चुनाव में बी.एम.एस. को बुरी तरह से शिकस्त मिली. सभी पांचों पदाधिकारी और कार्यकारिणी के 16 में से 15 सदस्य अब सीटू के हैं जो पहले बी.एम.एस. के होते थे. □

मजदूरों ने राज्यपाल के नाम स्मरण पत्र दिया

साहिबाबाद की फैक्ट्री और गाजियाबाद के सैक्टर 4 के 4000 से अधिक मजदूरों का एक जुलूस 23 फरवरी को जिलाधीश के दफ्तर गया और राज्यपाल के नाम एक स्मरण-पत्र पेश किया. बाद में जुलूस सभा में बदल गया जिसको अन्य नेताओं के अलावा दिल्ली सीटू के महासचिव सुशील भट्टाचार्य एम. पी. ने संबोधित किया.

स्मरण-पत्र में जैना टाइम इंडस्ट्रीज, हर्षा ट्रेक्टर तथा देवीदयाल कंपनी के मजदूरों की समस्याओं और धारा 144 को अक्सर लगाने पर ध्यान दिलाया गया.

स्मरण-पत्र में विक्टिमाइजेशन और मजदूरों के खिलाफ बदले की कार्यवाही को खत्म कराने, जैना मजदूरों के लिए महंगाई-भत्ता तथा वेतन तय कराने, हर्षा ट्रेक्टर में मजदूरों के साथ हुए समझौतों को लागू कराने, बकाया राशि का भुगतान कराने, देवी दयाल कंपनी में मजदूरों को न्याय दिलाने, निकाले गये मजदूरों को काम पर वापस लिए जाने और मजदूरों के संघर्ष को दबाने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल न करने आदि की मांग की गई है.

सीटू द्वारा कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण को रद्द किए जाने का विरोध

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने 4 फरवरी को निम्न बयान जारी किया.

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के खात्मे के किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करती है. यह मांग ठेकेदारों तथा पुराने निजी खदान मालिकों की ओर से की जा रही है. इस बार निहित स्वार्थों ने अपने घृणित मंसूबों को सफल करने के लिए एक ट्रेड यूनियन नेता को चुना है.

कोयला उद्योग के लिए द्विपक्षीय समिति में शामिल तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने कोयला खदानों को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के किसी भी प्रयास का लगातर विरोध किया है.

कोल इंडिया लिमिटेड (सी॰ आई. एल.) द्वारा कोयले के समुचित मात्रा में उत्पादन न कर पाने को ये निहित स्वार्थ राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों के खिलाफ वातावरण तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे है.

सीटू महसूस करती है कि देश की जरूरत के मुताबिक कोयला का भरपूर उप्पादन हो सकता है बशर्ते कि सरकार सी. आई. एल. में व्याप्त अनियमितताओं का फौरी तौर पर खात्मा करें. संबंद्ध नौकरशाहों तथा ठेकेदारों की मिलीभगत इस प्रतिष्ठान को करोड़ों रुपयों से वंचित कर रही है. रेलवे बोर्ड तथा सी. आई. एल. के बीच माल गाड़ी के डिब्बों की सप्लाई के बारे में एक अर्से से चला आ रहा मतभेद भी कोयला उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है और फिलहाल इसमें सुधार के कोई लक्षण नजर नहीं आते. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ लंबी अवधि के लिए हुए समझौतों के बावजूद खदानों में औद्योगिक संबंधों में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है.

लेकिन इस सबका मतलब यह कतई नहीं है कि यदि कोयला खदानों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए तो ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी. इस संबंद्ध में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि केंद्र में एक ऐसी लाबी सक्रिय है जो कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के खात्मे के लिए दबाव डाल रही है.

सीटू का विचार है कि मौजूदा कोयला संकट को हल करने के लिए कोयला खदानों के प्रबंध में तेजी से सुधार और कोयला खादानों में ठेकेदारी व्यवस्था का खात्मा किया जाए तथा कोयला खदान क्षेत्र में सी. आई. एल. के प्रबंधकों तथा पुलिस अधिकारियों की छत्रछाया में पल रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय. इमरजेंसी के दौरान बड़ी तादाद में भर्ती किये गये असामाजिक तत्व अब भी कोयला खदान में बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं.

सीटू भारत सरकार से मांग करती है कि वह कोयला संकट को हल करने के लिए निजी क्षेत्र के निहित स्वार्थो द्वारा चलाये जा रहे प्रचार पर ध्यान न दे, नहीं तो यह संकट हल होना मुश्किल हैं.

सीटू तमाम ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि वे कोयला उद्योग के राष्ट्रीकरण के खात्मे के लिए सक्रिय लाबी का लगातार तथा पुरजोर विरोध करें तथा सी. आई. एल. के प्रबंध में सुधार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें.

बेतिया में संयुक्त ट्रेड यूनियन मीटिंग

कोआर्डिनेशन कमेटी आफ दि ट्रेड यूनियंस एण्ड सर्विस एसोसिएशन, पश्चिम चंपारण का तीसरा वार्षिक सम्मेलन 19 और 20 जनवरी को बेतिया (बिहार) में आयोजित किया गया जिसमें घटक यूनियनों और एसोसिएशनों के 50 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कानफ्रेंस में नई कार्यकारिणी समिति और पदाधिकारी चुने गये.

कानफ्रेंस में मंहगाई भत्ता, इलेक्ट्रिसिटी, संगठन का अधिकार, बोनस, बिहार के एन.जी.ओ. (अराजपत्रित सरकारी अधिकारी) की मांगें, औद्योगिक संबंध विधेयक और मजदूरों तथा कर्मचारियों की अनेक ज्वलंत समस्याओं आदि पर प्रस्ताव पास किए गए.

एस. एस. मिराजकर

78 वर्षीय कामरेड एस. एस. मिराजकर की 15 फरवरी को बंबई में हुई मृत्यु पर सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज और 'सीटू मजदूर' गहरा शोक व्यक्त करती है.

कामरेड मिराजकर 20 सालों से इंडियन ट्रेड यूनियन आंदोलनों के अगुआ नेता थे. फ्रेंच-बैंक में इनकी छंटनी कर दी गई थी. उसके बाद इन्होंने बंबई में कपड़ा मजदूरों के बीच में अपनी ट्रेड यूनियन कार्यवाही शुरू की. वे गिरानी कामगार यूनियन, बंबई के संस्थापकों में से एक थे.

ट्रेड यूनियन आंदोलन में उनका कार्य देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मेरठ षड़यंत्र केस में फंसाकर 12 साल की कैद दी. कैद से छूटते ही कामरेड मिराजकर शीघ्र ही एटक के प्रमुख नेता बने. उन्होंने एटक की ओर से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) के सम्मेलनों में हिस्सा लिया.

1957 में वे एटक के अध्यक्ष बने और इस पद पर वे कई साल तक रहे. 1948-50 में वे कांग्रेस-सरकार द्वारा जेल में डाल दिए गए.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने उनके परिवार के सदस्यों को भेजे एक शोक-संदेश में भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा की.

सीटू सेक्रेटरी एम. के. पंधे ने दिल्ली के दरबार हाल में हुई एक मीटिंग में सीटू की ओर से शोक प्रकट किया. उस अवसर पर अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने भी शोक प्रकट किया.

ग्राहकों व एजेंटों से

कृपया मनीआर्डर भेजते समय, उसके नीचे दिये गए संदेश के स्थान पर पूरा पता एवं 'सीटू मजदूर' के लिए लिख कर भेजें.

—मैनेजर

राज्य सरकारों को भंग किए जाने का सीटू द्वारा विरोध

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने निम्नलिखित वक्तव्य 18 फरवरी को जारी किया है :

देश के नौ राज्यों की विधान सभाओं को भंग किया जाना तथा इन राज्यों का प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा सीधे अपने हाथ में ले लिया जाना देश में एक-पार्टी तानाशाही स्थापित किए जाने की दिशा में लिया गया कदम है. सीटू इसकी तीव्र भर्त्सना करती है और जनता से अपील करती है कि श्रीमती गांधी की सरकार के तानाशाही रुझानों का डटकर मुकाबला करे.

क्योंकि इन राज्यों में आम जनता पर एक बार फिर चुनाव लाद दिए गए हैं इसलिए सीटू सभी जनतांत्रिक ताकतों से अपील करती है कि वे तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने में एकजुट हो जाएं जिससे कि श्रीमती गांधी की पार्टी की इन चुनावों में विजय न हो सके.

सीटू विशेष रूप से मजदूर वर्ग से अपील करती है कि वे इन चुनावों में अन्य जनवादी तत्वों के साथ सहयोग करें व देश में तानाशाही लादने व नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने के षड्यंत्र को करारी शिकस्त दें. □

हथियारों का व्यापार...

[पृष्ठ पांच से आगे]

की राष्ट्रीय आय बाहर चली जाती है. इस प्रकार वह देश विदेशी पूंजी विनियोग के बावजूद नुक्सान में रहता है. अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि 1971 में अमरीका के अन्य देशों से मुनाफे के रूप में 7.5 बिलियन डालर कमाए जबकि इस साल उसकी कुल निर्यातित पूंजी 4.8 बिलियन डालर ही थी.

विक्टर पर्लो जैसे विशेषज्ञों ने बताया है कि शस्त्र उद्योग के इजारेदारों का मुनाफा नागरिक उद्योगों में लगी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कमाए गए औसत मुनाफे से अधिक होता है. उदाहरण के लिए, ड्यूपौं, जरनल इलैक्ट्रिक, स्पैरी रैंड, यूनियन कर्बाइड, बैथलेहम स्टील जैसी अमरीकी कंपनियों का मुनाफा अपने पूंजी विनियोग का 20 से 30 प्रति शत था जबकि युद्ध सामग्री बनाने वाले उद्योगों का मुनाफा 42 प्रति शत था. इससे भी अधिक मुनाफा उन कंपनियों का था जो केवल युद्ध सामग्री का ही निर्माण करती है. ये कंपनियां कई बार नागरिक उद्योगों से 60 से लेकर 70 प्रति शत अधिक मुनाफा कमाती हैं. शस्त्र-निर्माण उद्योग में लगी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफा बढ़ने का एक और कारण हथियारों को बेचने की मूल्य-नीति भी है. एक उदाहरण: ग्रम्मैन कारपोरेशन द्वारा निर्मित अमरीकन लड़ाकू जहाज एफ-14 पहले 8.3 मिलियन डालर में बेचा जाना था. किंतु निर्मित होने के बाद उसे 20 मिलियन डालर में बेचा गया.

फार्म 4

सीटू मजदूर

1. प्रकाशन स्थान:	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
2. प्रकाशन अवधि:	मासिक
3. मुद्रक का नाम:	एम.के. पंधे
क्या भारत का नागरिक है ?	हां
पता:	6, तालकटोरा रोड नई दिल्ली-110001
4. प्रकाशक का नाम:	एम.के. पंधे
क्या भारत का नागरिक है ?	हां
पता:	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
5. संपादक का नाम:	एम,के. पंधे
क्या भारत का नागरिक है ?	हां
पता:	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों :	सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मैं एम.के. पंधे, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं.

एम.के. पंधे
प्रकाशक के हस्ताक्षर

सीटू का नवीनतम प्रकाशन
कोयला खदानों में मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का
चेहरा बेनकाब
मूल्य 40 पैसे
लिखें : सीटू कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)
पी. राममूर्ति मनोरंजन राय
निरेन घोष सुधिन कुमार
एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित